

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) राजस्व/भूखण्ड के विभाण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यक्ति, राजकीय, आधिकारिक या अन्य) होने की स्थिति में नियम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही नियम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक नियम को पालन करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त हो जा सकती है ।

एकल किष्की केवल व्यावसायिक राइप डिजाइन अनुमति

कार्यालय नगर निगम, जोधापुर

आवेदन क्रमांक 700 दिनांक 08/09/2020

ए.पी.जी. वृष्ण गोपाल मिश्र एंड अविहार मिश्र मिल

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वानिर्धारण राशि रुपये 9359/- प्रामा

त्ररिचे स्वीड संख्या 9069/4544, 4545

दिनांक 08/09/2020 को जमा करा दी है ।

P.No: 37 (व्यव) चौपसकी

डाउमिंग बोर्ड

08/09/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधापुर

Karan

Receiving

08/09/20

9414/15781